पत्रांक–04/HFA–10/2016 13 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक–31/5/17

विषयः– **सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 31 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹3300.60 लाख SC घटक में ₹300.00 लाख ST घटक में एवं ₹11301.60 लाख Other than SC & ST घटक में अर्थात कुल राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन की स्वीकृति।**

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक–17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। **योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।**

मंत्रालय के पत्रांक–N-11011/10/-HFA-III(CN 3017644) दिनांक– 08.05.2017 द्वारा राज्य के 31 नगर निकायों में योजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन हेतु ₹3300.60 लाख SC घटक में, ₹530.40 लाख ST घटक में एवं ₹11301.60 लाख Other than SC & ST घटक में अर्थात कुल राशि ₹15132.60 लाख (एक अरब इक्यावन करोड़ बत्तीस लाख साठ हजार रू0 मात्र) विमुक्त की गयी है। बजट उपबंध के अभाव में पूर्णिया फेज–II में ST घटक में विमुक्त राशि ₹310.20 लाख के विरूद्ध ₹79.80 लाख की निकासी की जा रही है। बजट उपबंध प्राप्त होने पर अवशेष ₹230.40 लाख की निकासी की जाएगी। तद्नुसार स्वीकृत्यादेश सं0–12 दिनांक–31/5/17 के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु 31 नगर निकायों में व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण योजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ 8 में अंकित प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	परियोजना/नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाई (DU) की सं0	केन्द्रांश की वचनबद्ध राशि (@1.50 lakh/DU)	केन्द्रांश की प्रथम किस्त की विमुक्त राशि			
				ST घटक में विमुक्त राशि	SC घटक में विमुक्त राशि	Other than ST घटक एवं SC घटक में विमुक्त राशि	केन्द्रांश की प्रथम किस्त की विमुक्त राशि (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औरंगाबाद फेज–II	338	507.00	0.00	77.40	125.40	202.80
2	बनमनखी फेज–II	313	469.50	3.60	29.40	154.80	187.80

3	बड़हिया फेज–II	374	561.00	0.00	33.00	191.40	224.40
4	बेनीपुर फेज–II	1016	1524.00	0.00	157.20	452.40	609.60
5	बिहारशरीफ फेज–II	2625	3937.50	0.00	576.60	998.40	1575.00
6	बिक्रम फेज–II	484	726.00	0.00	61.20	229.20	290.40
7	बोधगया फेज–II	627	940.50	25.20	222.60	128.40	376.20
8	दाउदनगर फेज–II	70	105.00	0.00	17.40	24.60	42.00
9	ढाका फेज–II	577	865.50	0.00	58.20	288.00	346.20
10	डुमरा फेज–II	17	25.50	0.00	3.60	6.60	10.20
11	गया फेज–II	2429	3643.50	72.00	379.80	1005.60	1457.40
12	गोगरी जमालपुर फेज–II	986	1479.00	0.00	6.00	585.60	591.60
13	हिसुआ फेज–II	228	342.00	0.00	21.00	115.80	136.80
14	जमालपुर फेज–II	145	217.50	3.00	22.20	61.80	87.00
15	जमुई फेज–II	1023	1534.50	0.00	118.20	495.60	613.80
16	झाझा फेज–II	295	442.50	0.00	68.40	108.60	177.00
17	कहलगाँव फेज–II	273	409.50	1.20	19.80	142.80	163.80
18	कटैया फेज–II	661	991.50	9.60	147.60	239.40	396.60
19	किशनगंज फेज–II	2490	3735.00	54.60	251.40	1188.00	1494.00
20	कोचस फेज–II	309	463.50	0.00	27.60	157.80	185.40
21	मधुबनी फेज–II	1798	2697.00	0.00	171.00	907.80	1078.80
22	महाराजगंज फेज–II	237	355.50	11.40	2.40	128.40	142.20
23	मैरवां फेज–II	173	259.50	12.60	24.00	67.20	103.80
24	मेहसी फेज–II	600	900.00	0.00	58.80	301.20	360.00
25	पूर्णिया फेज–II	3378	5067.00	79.80	387.60	1329.00	1796.40
26	रफीगंज फेज–II	52	78.00	0.00	12.00	19.20	31.20
27	रक्सौल फेज–II	842	1263.00	0.00	42.60	462.60	505.20
28	शिवहर फेज–II	1641	2461.50	27.00	183.00	774.60	984.60
29	सुपौल फेज–II	439	658.50	0.00	44.40	219.00	263.40
30	ठाकुरगंज फेज–II	107	160.50	0.00	1.80	62.40	64.20
31	वारसलीगंज फेज–II	674	1011.00	0.00	74.40	330.00	404.40
	कुल	**25221**	**37831.50**	**300.00**	**3300.60**	**11301.60**	**14902.20**

2. स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, ज्ञापांक–5193 दिनांक–28.06.16 एवं पत्रांक–428 दिनांक–31.03.17 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹2400.00 लाख (चौबीस करोड़ रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 – छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0205– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217037890205, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0205.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित 2400.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(ii) स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹900.60 लाख रू0 (नौ करोड़ साठ हजार रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01 – राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0205– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217017890205, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0205.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित 2400.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(iii) स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01 – राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष–796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–0201– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217017960201, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0201.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित 150.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(iv) स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 – छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–796, जन–जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष–0203– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217037960203, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0203.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित 150.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(v) स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹11301.60 लाख (एक अरब तेरह करोड़ एक लाख साठ हजार रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01 – राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष–192, नगर पालिकाओं– नगर परिषद को सहायता, उप शीर्ष–0201– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217011920201, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0201.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित 14000.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

31.5.17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 13 दिनांक–31/5/17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.5.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 13 दिनांक–31/5/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.5.17

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–04 / HFA–10 / 2016 12 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–31-5-17

विषयः– **सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 31 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹3300.60 लाख SC घटक में ₹300.00 लाख ST घटक में एवं ₹11301.60 लाख Other than SC & ST घटक में अर्थात कुल राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2017–18 में निकासी की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक–17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक–N-11011/10/-HFA-III(CN 3017644) दिनांक– 08.05.2017 द्वारा राज्य के 31 नगर निकायों में योजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन हेतु ₹3300.60 लाख SC घटक में, ₹530.40 लाख ST घटक में एवं ₹11301.60 लाख Other than SC & ST घटक में अर्थात कुल राशि ₹15132.60 लाख (एक अरब इक्यावन करोड़ बत्तीस लाख साठ हजार रू0 मात्र) विमुक्त की गयी है। बजट उपबंध के अभाव में पूर्णिया फेज–II में ST घटक में विमुक्त राशि ₹310.20 लाख के विरूद्ध ₹79.80 लाख की निकासी की जा रही है। बजट उपबंध प्राप्त होने पर अवशेष ₹230.40 लाख की निकासी की जाएगी। तद्नुसार 31 नगर निकायों में व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण योजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ 8 में अंकित प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2017–18 में निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	परियोजना/नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाई (DU) की सं0	केन्द्रांश की वचनबद्ध राशि (@1.50 lakh/DU)	केन्द्रांश की प्रथम किस्त की विमुक्त राशि			
				ST घटक में विमुक्त राशि	SC घटक में विमुक्त राशि	Other than ST घटक एवं SC घटक में विमुक्त राशि	केन्द्रांश की प्रथम किस्त की विमुक्त राशि (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औरंगाबाद फेज–II	338	507.00	0.00	77.40	125.40	202.80
2	बनमनखी फेज–II	313	469.50	3.60	29.40	154.80	187.80

3	बड़हिया फेज–II	374	561.00	0.00	33.00	191.40	224.40
4	बेनीपुर फेज–II	1016	1524.00	0.00	157.20	452.40	609.60
5	बिहारशरीफ फेज–II	2625	3937.50	0.00	576.60	998.40	1575.00
6	बिक्रम फेज–II	484	726.00	0.00	61.20	229.20	290.40
7	बोधगया फेज–II	627	940.50	25.20	222.60	128.40	376.20
8	दाउदनगर फेज–II	70	105.00	0.00	17.40	24.60	42.00
9	ढाका फेज–II	577	865.50	0.00	58.20	288.00	346.20
10	डुमरा फेज–II	17	25.50	0.00	3.60	6.60	10.20
11	गया फेज–II	2429	3643.50	72.00	379.80	1005.60	1457.40
12	गोगरी जमालपुर फेज–II	986	1479.00	0.00	6.00	585.60	591.60
13	हिसुआ फेज–II	228	342.00	0.00	21.00	115.80	136.80
14	जमालपुर फेज–II	145	217.50	3.00	22.20	61.80	87.00
15	जमुई फेज–II	1023	1534.50	0.00	118.20	495.60	613.80
16	झाझा फेज–II	295	442.50	0.00	68.40	108.60	177.00
17	कहलगाँव फेज–II	273	409.50	1.20	19.80	142.80	163.80
18	कटैया फेज–II	661	991.50	9.60	147.60	239.40	396.60
19	किशनगंज फेज–II	2490	3735.00	54.60	251.40	1188.00	1494.00
20	कोचस फेज–II	309	463.50	0.00	27.60	157.80	185.40
21	मधुबनी फेज–II	1798	2697.00	0.00	171.00	907.80	1078.80
22	महाराजगंज फेज–II	237	355.50	11.40	2.40	128.40	142.20
23	मैरवां फेज–II	173	259.50	12.60	24.00	67.20	103.80
24	मेहसी फेज–II	600	900.00	0.00	58.80	301.20	360.00
25	पूर्णिया फेज–II	3378	5067.00	79.80	387.60	1329.00	1796.40
26	रफीगंज फेज–II	52	78.00	0.00	12.00	19.20	31.20
27	रक्सौल फेज–II	842	1263.00	0.00	42.60	462.60	505.20
28	शिवहर फेज–II	1641	2461.50	27.00	183.00	774.60	984.60
29	सुपौल फेज–II	439	658.50	0.00	44.40	219.00	263.40
30	ठाकुरगंज फेज–II	107	160.50	0.00	1.80	62.40	64.20
31	वारसलीगंज फेज–II	674	1011.00	0.00	74.40	330.00	404.40
	कुल	**25221**	**37831.50**	**300.00**	**3300.60**	**11301.60**	**14902.20**

2. स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, ज्ञापांक–5193 दिनांक–28.06.16 एवं पत्रांक–428 दिनांक–31.03.17 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹2400.00 लाख (चौबीस करोड़ रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 – छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0205– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217037890205, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0205.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित 2400.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(ii) स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹900.60 लाख रू0 (नौ करोड़ साठ हजार रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01 – राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0205– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217017890205, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0205.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित 2400.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(iii) स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01 – राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष–796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–0201– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217017960201, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0201.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित 150.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(iv) स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 – छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–796, जन–जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष–0203– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217037960203, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0203.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित 150.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(v) स्वीकृत राशि ₹14902.20 लाख (एक अरब उनचास करोड़ दो लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹11301.60 लाख (एक अरब तेरह करोड़ एक लाख साठ हजार रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01 – राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष–192, नगर पालिकाओं– नगर परिषद को सहायता, उप शीर्ष–0201– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217011920201, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0201.31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित 14000.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पडताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0– 51/टि0 पर दिनांक– 30.05.17 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0– 50/टि0 पर दिनांक– 29.05.17 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

31.5.17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 12 दिनांक– 31/05/17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.5.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–04 / HFA–10 / 2016 12 दिनांक– 31-5-17

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.5.17

सरकार के विशेष सचिव।